<u>कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।</u>

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य-03/2024 **दिनांक 30/03//2024**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

अपने पत्र संख्याःवीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 29.03.2024** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

<u>01- थाना दुल्लहपुर पुलिस द्वारा दौराने चेकिंग 01 अदद् तमंचा व 01 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर के साथ 01 नफर अभियुक्त किया गया गिरफ्तार ।</u>

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी भुड़कुड़ा के निकट पर्यवेक्षण में थाना दुल्लहपुर पुलिस टीम के द्वारा 01 अभियुक्त आशीष यादव पुत्र राजेश यादव नि0 पदुमपुर कोडरा थाना भुड़कुड़ा जनपद गाजीपुर को पदुमपुर धामुपुर बार्डर मगही नदी के पुल पर गिरफ्तार किया गया। जिसके पास से 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध में थाना दुल्लहपुर पर मु0अ0सं0 41/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांकः-

पदुमपुर धामुपुर बार्डर मगही नदी का पुल, दिनांक 29.3.20244 समय 04.30 बजे

नाम पता अभियुक्तः-

आशीष यादव पुत्र राजेश यादव नि0 पदुमपुर कोडरा थाना भुडकुडा जनपद गाजीपुर

आपराधिक इतिहासः-

मु0अ0सं0 41/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर

बरामदगी का विवरणः-

01 अदद् तमंचा व 01 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर

02. थाना नन्दगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 48/2024 धारा 376(2)(f), 376(2)(n), 376(3), 323, 313, 504 भा0द0वि0 व धारा 5(j)(2)/6, 5(l)/6 व 5(n)/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त की सफल गिरफ्तारी।

अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी भुडकुड़ा महोदय के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 29.03.2024 को थाना नंदगंज की पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में मामूर होकर शादियाबाद मोड़ पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग किया जा रहा था कि मुखबिर खास कि सूचना के आधार पर थाना नंदगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 48/2024 धारा 376(2)(f), 376(2)(n), 376(3), 323, 313, 504 भा0द0वि0 व धारा 5(j)(2)/6, 5(l)/6 व 5(n)/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त प्रकाश बिन्द पुत्र फेकन बिन्द निवासी ग्राम सिरगिथा थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर को सहेड़ी तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता- प्रकाश बिन्द पुत्र फेकन बिन्द निवासी ग्राम सिरगिथा थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र 40 वर्ष।

गिरफ्तारी का स्थान- सहेड़ी हाईवे तिराहा थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास- मु0अ0सं0 48/2024 धारा 376(2)(f), 376(2)(n), 376(3), 323, 313, 504 भा0द0वि0 व धारा 5(j)(2)/6, 5(l)/6 व 5(n)/6 पाक्सो एक्ट

03. थाना रामपुर माँझा पुलिस द्वारा एक अदद नाजायज तमन्चा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन एवं पुलिस उपाधीक्षक नगर के निकट पर्यवेक्षण में उ0नि0 श्री गजेन्द्र राय मय हमराहीगण के द्वारा आज दिनांक 28.03.2024 को समय 23.20 बजे पहाड़पुर पुलिया बहद ग्राम पहाड़पुर थाना क्षेत्र रामपुर मांझा, जनपद गाजीपुर से अपराधी के कब्जे से एक अदद नाजायज तमन्चा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर की बरामदगी करते हुए गिरफ्तारी की गयी है , जिसके संबंध में मु0अ0सं0 0025/2024 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत करते हुए अग्रेतर कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

विवरण गिरफ्तार अभियुक्त

1. अमील उर्फ सोनू कुरैशी पुत्र खालिक कुरैशी निवासी ग्राम पहाड़पुर थाना रामपुर माझां जनपद गाजीपुर उम्र करीब 28 वर्ष

बरामदगी माल-

एक अदद नाजायज तमन्चा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

विवरण आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 0082/2023 धारा 147,323,352,427,504,506 भादवि थाना रामपुर मांझा गाजीपुर
2. मु0अ0सं0 0103/2021 धारा 323,504,506 भादवि थाना करण्डा गाजीपुर
3. मु0अ0सं0 0118/2018 धारा 147,323,504,506 भादवि थाना नन्दगंज गाजीपुर
4. मु0अ0सं0 0025/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रामपुर मांझा गाजीपुर

04. **<u>थाना कासिमाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 215/23 धारा 406,420,504,506 भादवि व 3(1) द,ध व 3(2) एससी/एसटी एक्ट में वांछित 02 नफर अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।</u>**

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी कासिमाबाद के निकट पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक कासिमाबाद के नेतृत्व में मा0न्यायालय अपर सिविल जज जू0डि0 मुहम्मदाबाद गाजीपुर द्वारा वाद 215/23 धारा 406,420,504,506 भादवि व 3(1) द,ध व 3(2) एससी/एसटी एक्ट बनाम जयप्रकाश यादव पुत्र सतिराम यादव निवासी ग्राम मिरानपुर थाना कासिमाबाद गाजीपुर आदि नफर अभियुक्तगण के विरुद्ध गैर जमानतीय वारण्ट जारी किया गया था । मा0न्यायालय द्वारा निर्गत गैर जमानतीय वारण्ट का तामिला व गिरफ्तारी हेतु आज दिनांक 29.03.2024 को उ0नि0 बृजमोहन व उ0नि0 मनोज कुमार गिरी द्वारा अभियुक्तगण के निवास स्थान ग्राम मिरानपुर में दबिश दी गयी। अभियुक्तगण 1.जयप्रकाश यादव पुत्र सतिराम यादव 2. अभिषेक यादव पुत्र रामाशीष यादव निवासीगण ग्राम मिरानपुर थाना कासिमाबाद गाजीपुर अपने घर पर मौजूद मिले। जिन्हे मा0न्यायालय द्वारा निर्गत गैर जमानतीय वारण्ट से अवगत कराते हुए समय 00.20 बजे गिरफ्तार किया गया तथा नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार शुदा वारण्टी/अभियुक्तगण:-

1. जयप्रकाश यादव पुत्र सतिराम यादव निवासी ग्राम मिरानपुर थाना कासिमाबाद गाजीपुर
2. अभिषेक यादव पुत्र रामाशीष यादव निवासी ग्राम मिरानपुर थाना कासिमाबाद गाजीपुर

<u>05. थाना नोनहरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-15/24 धारा 498A/304B भा0द0वि0 व 3/4 DP ACT में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।</u>

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी कासिमाबाद के निकट पर्वेक्षण में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 15/24 धारा 498A/304B भा0द0वि0 व 3/4 DP ACT से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.अनिल यादव पुत्र मिरजा यादव उम्र 24 वर्ष 2.मिरजा यादव पुत्र स्व0 देवनाथ यादव उम्र 59 वर्ष 3.कुसुम देवी पत्नी मिरजा यादव उम्र करीब 55 वर्ष समस्त निवासी गण ग्राम गजिया गठिया थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर को आज दिनांक 29.03.2024 को समय 10.30 बजे उ0नि0 श्री शैलेन्द्र कुमार दूबे मय हमराह द्वारा ग्राम गजिया गठिया से हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त गण उपरोक्त के विरूद्ध अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण</u>

1.अनिल यादव पुत्र मिरजा यादव उम्र 24 वर्ष निवासी गण ग्राम गजिया गठिया थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर

2.मिरजा यादव पुत्र स्व0 देवनाथ यादव उम्र 59 वर्ष निवासी गण ग्राम गजिया गठिया थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर

3.कुसुम देवी पत्नी मिरजा यादव उम्र करीब 55 वर्ष निवासी गण ग्राम गजिया गठिया थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर

<u>आपराधिक इतिहास-</u>

1.मु0अ0सं0 15/24 धारा 498A/304B IPC व 3/4 DP ACT थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर